सत्यमेव जयते
Department of Science & Technology
Government of India

भारत-रूस एसएंडटी सहयोग

संयुक्त परियोजना प्रस्ताव आह्वान - 2022

प्रस्ताव आह्वान की घोषणा : 13 सितम्बर 2022

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख –*14 नवंबर,* 2022

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), भारत सरकार तथा रूसी संघ के विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्रालय (एम एस एच ई) भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों / शोधकर्ताओं को निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं :

क. **ग्लाइकोसाइंस और प्रौद्योगिकी : औषधि, ऊर्जा उत्पादन और पदार्थ विज्ञान में विविध अनुप्रयोगों के लिए शर्करा की संरचनाओं और कार्यों की गवेषणा।**

ख. **नई सामग्री और योजक विनिर्माण, जिसमें उनके उत्पादन (पारंपरिक और योगात्मक दोनों) के लिए नई सामग्री और प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।**

ग. **सटीक कृषि, जिसमें कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए उपकरण और मशीनरी का विकास, और कृषि में डिजिटल और दूरस्थ प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।**

घ. **एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियां**

2. आवेदन प्रक्रिया

भारतीय और रूसी आवेदक एक संयुक्त परियोजना योजना तैयार करेंगे और वह योजना प्रत्येक संगठन के प्रपत्रों का उपयोग करके क्रमशः भारत (डी एस टी) और रूस (एम एस एच ई) दोनों को भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दोनों समकक्षों की ओर से समान शीर्षक वाला आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्ताव में भारत और रूस दोनों में से प्रत्येक के प्रधान अन्वेषक (पी आई) का नाम शामिल होना चाहिए। आवेदनों में यह वक्तव्य शामिल होना चाहिए कि प्रस्तावित सहयोग से किस प्रकार दोनों देशों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।

भारतीय पक्ष की ओर से पी आई तथा अन्य जांचकर्ता या तो वैज्ञानिक, शोधकर्ता या संकाय सदस्य होने चाहिए जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं या संस्थानों द्वारा नियमित रूप से नियोजित हों।

परियोजना की प्रस्तावित अवधि के दौरान न तो पी आई सेवानिवृत्त होना चाहिए और न ही उसकी सेवानिवृत्त होने की योजना होनी चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि पहले से ही डी एस टी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा वित्त पोषित दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न कोई आवेदक भारतीय पक्ष की ओर से इस आह्वान के लिए परियोजना प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं है। पहले से ही भारत - रूस संयुक्त परियोजना के कार्यान्वयन में संलग्न पी आई / सह – पी आई भी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

परियोजना में औद्योगिक दृष्टिकोण निहित होना चाहिए और भारतीय तथा रूसी दोनों उद्योगों से भागीदारी को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।

3. चयन संबंधी मापदंड और मूल्यांकन प्रक्रिया

डी एस टी और एम एम एच ई अपने अपने संस्थागत पद्धति तथा आकलन मापदंडों के अनुसार प्रस्तावों का चयन करेंगे। निम्निलखित मापदंडों पर विशेष बल भी दिया जाएगा :

क) प्रस्तावित कार्य की अभिनवता,

ख) आवश्यकता आकलन और प्रस्तावित कार्य की मांग,

ग) प्रस्तावित दृष्टिकोणों की प्राप्ति की वैज्ञानिक उपयुक्तता और तकनीकी अर्हता

घ) यथाप्रयोज्य व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता या परियोजना संघ की विशेषज्ञता एवं ट्रैक रिकॉर्ड

ङ) औद्योगिक साझीदार की उपयुक्तता, प्रत्येक सदस्य की प्रतिस्पर्धात्मकता, अनुसंधान हेतु उपलब्ध सुविधाओं पर विधिवत विचार किया जाएगा।

च) प्रस्ताव की तैयारी, साहित्य / पेटेंट समीक्षा, अर्ह उद्देश्य, कार्यपद्धति तथा कार्य योजना, स्पष्ट एवं सुपरिभाषित प्राप्तियां।

छ) क्षेत्र के भीतर चल रहे अनुसंधान पर सहक्रियात्मक प्रभाव और मूल्यवर्धन

ज) परियोजना में औद्योगिक दृष्टिकोण निहित होना चाहिए और भारतीय तथा रूसी दोनों उद्योगों से भागीदारी को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।

झ) प्रस्तावित अनुसंधान और नवोन्मेष परियोजनाओं को भारतीय एवं रूसी पक्ष में सुसम्मिलित होना चाहिए।

ञ) अपेक्षित परिणाम के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान और नवोन्मेष गतिविधियों को भारतीय और रूसी समकक्षों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

ट) भारतीय - रूसी अनुसंधान एवं नवोन्मेष परियोजनाओं सहित क्षेत्र के भीतर चल रहे अनुसंधान पर सहक्रियात्मक प्रभाव और मूल्यवर्धन को महत्वपूर्ण माना गया है।

4. उपलब्ध सहायता का प्रकार

सफल परियोजनाओं को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। रूसी समकक्ष के लिए, एम एस एच ई, रूस द्वारा और इसी तरह भारतीय समकक्ष के लिए डी एस टी द्वारा वित्त पोषण का संवितरण किया जाएगा। सहायता के लिए योग्यता के आधार पर 4-5 संयुक्त अनुसंधान और नवोन्मेष परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। दोनों पक्षों के लिए परियोजनाओं की अवधि 3 वर्ष तक होने की उम्मीद है।

परियोजना बजट में उचित भारतीय और रूसी लागतों का स्पष्ट रूप से चित्रण होना चाहिए। भारतीय भागीदार की लागत डी एस टी के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र होनी चाहिए। तदनुसार, रूसी भागीदार की लागत एम एस एच ई के दिशानिर्देशों के अनुसार योग्य होनी चाहिए। चूंकि संयुक्त परियोजनाओं को द्विपक्षीय पद्धति में वित्त पोषित किया जाता है, इसलिए दोनों देशों के बीच गतिशीलता संतुलित होनी चाहिए। सफल सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को भारत और रूस के बीच यात्रा के लिए पर्याप्त बजट शामिल करने के लिए स्मरण कराया जाता है।

पर्याप्त सह - वित्तपोषण के साथ-साथ मुख्य आवेदकों के अलावा प्रासंगिक सार्वजनिक भागीदारों और / या निजी उद्यमों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

<u>भारतीय पक्ष की ओर से उपलब्ध सहायता का प्रकार :</u>

इस वित्त पोषण में किसी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित व्ययों को शामिल किया जाएगा :

- **उपभोज्य और सहायक उपकरण, अध्येतावृत्तियां और अन्य शोध व्यय :** परियोजना टीम द्वारा अपने देश में व्यय को संबंधित देश द्वारा वहन किया जाएगा, अर्थात, परियोजना के भारतीय पक्ष पर व्यय का समर्थन डी एस टी करेगा जबकि रूसी पक्ष के व्यय को आर एस एफ पूरा करेगा। **उपकरण शीर्ष के तहत कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए, पी आई को परियोजना प्रस्ताव में उपकरणों के लिए बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।**
- **विनिमय यात्रा घटक के लिए सहायता:** भेजने वाला पक्ष वापसी अंतरराष्ट्रीय हवाई किराया, आवास, प्रति दिन खर्च आदि प्रदान करेगा। वर्तमान में, भारतीय वैज्ञानिकों की अनुमोदित रूस यात्रा के लिए, निम्नलिखित व्यय पर सहमति है : अंतर्राष्ट्रीय किराया (निकटतम हवाई अड्डे से गंतव्य शहर तक अर्थव्यवस्था भ्रमण श्रेणी द्वारा), एक सप्ताह से कम की यात्रा के लिए **50** अमेरिकी डॉलर प्रति दिन की दर से और लंबी यात्रा के लिए 40 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन की दर से नकद भत्ता; **100** अमेरिकी डॉलर प्रति रात्रि की दर से;

मॉस्को / सेंट पीटर्सबर्ग के मामले में 125 अमेरिकी डॉलर प्रति रात्रि की दर से आवास भत्ता (रसीद के अध्यधीन); 25 अमेरिकी डॉलर तक स्थानीय परिवहन भत्ता (रसीद के अधीन) और यात्रा अवधि के लिए सिल्वर श्रेणी द्वारा विदेशी चिकित्सा बीमा।

- **संस्थागत उपरि व्यय : डी एस टी के मापदंडों के अनुसार।**
- औद्योगिकी साझीदार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। उद्योग अपने स्वयं के वित्त पोषण के साथ भागीदारी कर सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय एक प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. प्रस्ताव अपेक्षाएं :

प्रस्तावों में अनुसंधान विचारों और दृष्टिकोणों को पूरी तरह से प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावों को अच्छी तरह से तैयार किया गया हो और वैज्ञानिक / तकनीकी योजनाओं और दृष्टिकोणों की निष्पक्ष समीक्षा के लिए प्रस्ताव में अनुसंधान योजना का वास्तविक विवरण प्रदान किया गया हो। प्रस्ताव में मालिकाना या गोपनीय जानकारी स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। प्रस्ताव किसी भी पिछली प्रस्तुत परियोजना या प्रस्ताव का दोहराव या काफी हद तक सदृश नहीं होना चाहिए।

औद्योगिक विकास की ओर ले जाने वाली और वाणिज्यीकरण की क्षमता रखने वाली परियोजना वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी। इस आह्वान के तहत औद्योगिक विकास की ओर ले जाने वाले बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव को सहायता प्रदान की जाएगी। स्पष्ट रूप से प्राप्त करने योग्य उपलब्धियों, समय सीमा, उचित बजट आवश्यकता और संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भागीदारों या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा निकायों के साथ जुड़ाव के साथ कार्यान्वयन या व्यावसायीकरण योजना का स्पष्ट रूप से विवरण दिया जाना चाहिए।

6. परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

भारतीय और रूसी आवेदक एक संयुक्त परियोजना योजना तैयार करेंगे और वह योजना प्रत्येक संगठन के प्रपत्रों का उपयोग करके क्रमशः भारत (डी एस टी) और रूस (एम एस एच ई) दोनों को भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दोनों समकक्षों की ओर से समान शीर्षक वाला आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्ताव में भारत और रूस से एक – एक प्रधान अन्वेषक (पी आई) का नाम अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। प्रस्ताव को अंग्रेजी भाषा में 31 अक्तूबर, 2022 (16.30 बजे आई एस टी) से पूर्व डी एस टी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

<u>भारत में प्रस्तुतीकरण :</u>

विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों / इंजीनियरों / प्रौद्योगिकीविदों; अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं वाले अनुसंधान एवं विकास संस्थानों / प्रयोगशालाओं द्वारा **केवल ऑनलाइन मोड** के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। पी आई (ओं) के पास प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए जो कि पिछले प्रोटोटाइप व्यावसायीकरण या विकास अथवा क्षेत्र ज्ञान के साथ चुने हुए क्षेत्र / विषय में व्यावहारिक अनुभव से स्पष्ट हो।

भारतीय पक्ष में, परियोजना प्रस्ताव **केवल ऑनलाइन पद्धति** के माध्यम से (www.onlinedst.gov.in) संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। परियोजना प्रस्ताव की कोई **हार्ड प्रति प्रस्तुत नहीं** की जानी चाहिए।

किसी अन्य विवरण और स्पष्टीकरण के लिए, कृपया भारत अथवा रूस में निम्नलिखित से संपर्क करें :

भारत के लिए

डा. शिवाशीष दास,

वैज्ञानिक 'ग', अंतरराष्ट्रीय प्रभाग,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड

नई दिल्ली - 110016, भारत

दूरभाष : +91-11-26590317

ई – मेल : sdash.dst@gov.in

यू आर एल : www.dst.gov.in / www.onlinedst.gov.in

रूस के लिए

सुश्री एनेस्तासिया जैडोरिना,

उप कार्यपालक निदेशक,

अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी सहयोग

ईमेल : zadorina@mniop.ru

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

डी एस टी – एम एस एच ई संयुक्त प्रस्ताव आह्वान

♥♥♥♥♥♥♥

डी एस टी द्वारा प्रयोग के लिए
क्षेत्र :.....
क्र. सं.....

परियोजना प्रस्ताव

परियोजना शीर्षक	:		
मुख्य शब्द(अधिकतम 5)			
क्षेत्र **कृपया उस क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आपकी परियोजना आती है**			
परियोजना समन्वयक **(प्रत्येक पक्ष की ओर से एक)** **(नाम, पदनाम, पता, दूरभाष, फैक्स, ई – मेल)**	:	**भारतीय**	**रूसी**
अन्य भागीदार **(प्रयोक्ता एजेंसी (एजेंसियों) के भागीदारों सहित)**	:		
प्रस्तावित प्रारंभण तिथि	:		
अवधि	:		
उद्देश्य	:		

परियोजना का संक्षिप्त विवरण :

(कृपया कार्यपद्धति और प्रत्याशित परिणामों सहित 1 – 2 पृष्ठों का परियोजना का सार संलग्न करें)

अनुसंधान के प्रस्तावित विषय / विषय वस्तु में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

(लगभग 200 शब्दों में), कृपया मुख्य ग्रंथसूची के संदर्भ प्रदान करें।

रूस के साथ प्रस्तावित अनुसंधान आदान – प्रदान की आवश्यकता और महत्व :

नियोजित लक्ष्य :

समय अनुसूची	लक्ष्य	भारतीय उत्तरदायित्व	रूसी उत्तरदायित्व
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
प्रथम छह माह			
द्वितीय छह माह			
तृतीय छह माह			
चतुर्थ छह माह			
पंचम छह माह			
षष्ठम छह माह			

:

संयुक्त अनुसंधान परियोजना के परिणामों और प्रभाव के मापन के तरीकों का सुझाव

परिणामों के संयुक्त उपयोग हेतु प्रस्तावित कार्यपद्धति :

(संयुक्त प्रकाशन, परिणामों का उद्योग को अंतरण, संयुक्त उद्यमों की स्थापना आदि)

भारतीय प्रधान अन्वेषक के साथ चल रही / पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं (पिछले 5 वर्ष)

राष्ट्रीय परियोजनाएं :

क्र. सं.	**परियोजना का शीर्षक**	**प्रायोजक एजेंसी**	**बजट**	**स्थिति**

अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं :

क्र.सं.	**परियोजना का शीर्षक**	**सहयोगी वैज्ञानिक एवं संस्थान का नाम**	**प्रायोजक एजेंसी**	**बजट**	**स्थिति**

लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित विनिमय दौरे :

	भारत से रूस		**रूस से भारत**	
	व्यक्तियों की संख्या x दौरे	प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा की अवधि	व्यक्तियों की संख्या x दौरे	प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा की अवधि
प्रथम वर्ष				
द्वितीय वर्ष				
तृतीय वर्ष				

डी एस टी से अपेक्षित वित्तीय सहायता :

	प्रथम वित्त वर्ष	द्वितीय वित्त वर्ष	तृतीय वित्त वर्ष
उपभोज्य सामग्री और सहायक उपकरण			
जनशक्ति			
आकस्मिक व्यय			
विनिमय यात्रा			
कुल			

टिप्पणी : परियोजना लीडर को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी और अगले वर्ष परियोजना को जारी रखा जाना डी एस टी और एम एस एच इर् द्वारा आकलित उसकी प्रगति पर निर्भर होगी। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में, भारतीय परियोजना लीडर को डी एस टी द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे उपयोगिता प्रमाणपत्र और व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा।

उपभोज्य सामग्री का औचित्य (परिमाणात्मक सूची प्रस्तुत की जाए)

मांगी गई जनशक्ति, यदि कोई हो, का औचित्य

मूल संस्थान (संस्थानों) द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जा रही सुविधाओं की सूची

परियोजना के लिए संस्थान / समूह / विभाग / अन्य संस्थानों के पास उपलब्ध उपकरण :

निम्नलिखित के पास उपलब्ध उपकरण	उपकरण का सामान्य नाम	मॉडल, निर्माण और खरीद का वर्ष	उपलब्ध सहायक उपकरणों और उपकरण के मौजूदा प्रयोग सहित टिप्पणियां
पी आई और उसका समूह			
पी आई का विभाग			

उस क्षेत्र में अन्य संस्थान			

सहायता के अन्य संसाधन

क्या इस अनुसंधान को वर्तमान में अन्य स्रोतों से सहायता प्रदान की जा रही है?

हां	नहीं

यदि हां, तो कृपया स्रोतों, सहायता राशि और सहायता अवधि को दर्शाएं।

भारतीय पक्ष:

रूसी पक्ष :

क्या इस परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए अन्य एजेंसियों को प्रस्तुत किया गया है?

हां	नहीं

यदि हां, तो कृपया दर्शाएं कौन सी एजेंसियां और कब।

भारतीय पक्ष:

रूसी पक्ष :

(परियोजना समन्वयक के हस्ताक्षर)

<u>अपेक्षित संलग्नक</u>

1. प्रस्तावित संयुक्त कार्य के अनुशीलन हेतु रूसी समकक्ष की सहमति।
2. संस्थान की अनापत्ति / अग्रेषण पत्र।
3. अधिवर्षिता / सेवा अवधि पूरी होने की तिथि, विशेषज्ञता के क्षेत्र, मौजूदा अनुसंधान रूचियों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों सहित परियोजना समन्वयकों का जीवन – वृत्त (अधिकतम 2 पृष्ठ)
4. औद्योगिक साझीदार के लिए डी एस आई आर द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक एस आई आर ओ अपेक्षित है।